प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉमप्लेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद–अमरोहा, बागपत, बलिया, भदोही, बिजनौर, चन्दौली, चित्रकूट, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हाथरस, जौनपुर, कानुपर नगर, कानपुर देहात, कुशीनगर, महोबा, मैनपुरी, मऊ, मुजफ्फर नगर, रायबरेली, इटावा एवं सुल्तानपुर।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36 / 2015–16 / 7300-23 दिनांक 13/10/15

विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला महिला चिकित्सालय में "सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (SNCU) को स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है प्रदेश का **IMR** 50 प्रति 1000 जीवित जन्म (SRS 2013) एवं का **NMR** 35 प्रति 1000 जीवित जन्म (SRS 2013) जो क्रमशः राष्ट्रीय औसत 40 प्रति 1000 जीवित जन्म एवं 28 प्रति 1000 जीवित जन्म से अधिक है जिसके दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं को तत्काल उचित उपचार एवं सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के 23 नवीन जनपदों के जिला महिला चिकित्सालयों में **"सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (Sick Newborn Care Unit)** की स्थापना कर क्रियाशील किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 की आर0ओ0पी0 में अनुमोदन प्रदान किया गया है। जनपद स्तर पर एस0एन0सी0यू0 के मानक एवं स्थापना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी "ऑपरेशनल गाइडलाइन" के अंश वेब साइट **upnrhm.gov.in** पर सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलब्ध है का अवलोकन कर एक आर्दश इकाई स्थापित कर क्रियाशील किया जाना है। **(आपरेशनल गाईड लाइन की छायाप्रति संलग्न)**

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 की आर0ओ0पी0 में एस0एन0सी0यू0 को स्थापित कर क्रियाशील किये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निम्नवत हैं:–

1-"सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (SNCU) हेतु छोटी–मोटी मरम्मत।

गंभीर नवजात शिशु उपचार इकाई को स्थापित कर क्रियाशील बनाये जाने के लिये वित्तीय वर्ष 2015–16 में आवश्यक छोटी–मोटी मरम्मत हेतु FMR Code-B.5.6.1 पर **अधिकतम** रू0 4.00 लाख की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है

Table- 1: Minor Repair and Renovation etc.

Sl No.	Item	Quantity	Amount (in Lacs)
1	**SNCU to be initiated this year (one time cost for repair and renovation)**	1	4.00

2-"सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (SNCU) की स्थापना हेतु उपकरण एवं साम्रग्री

FMR Code-A.2.2.1 पर उपकरणों के क्रय हेतु नीचे दी जा रही तालिका में इकाई की स्थापना हेतु एक बार के लिये एस0एन0सी0यू0 का विद्युतीकरण, अर्थिंग विधुत उपकरण, मेज, कुर्सी आदि अन्य तथा नीचे तालिकानुसार उपकरणों के क्रय हेतु रू0 4.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है। तथा शेष धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी। सामग्री उच्च कोटि एवं अच्छे स्टैण्डर्ड (Standard) की होनी चाहिये।

Table- 1: Items, which can be procured at District Level

Sr. No.	Item	Quantity
1	1.5 Ton split AC	2
2	1.0 Ton Split AC	2
3	Voltage Stabilizer 4 KVA	2
4	Voltage Stabilizer 3 KVA	2
5	Revolving chairs	4
6	Revolving stool	6
7	Single beds	2
8	Bed mattresses	2
9	Pillow	4
10	Almirah	4
11	Heat radiator (Oil immersion Heater)	4
12	Refrigerator 180 ltr.	1
13	Washing machine	1
14	Vacume cleaner	1
15	Desktop	1
16	Printer	1
17	UPS	1

नोट :– उक्त उपकरणों के क्रय से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि इन्हें पूर्व में क्रय नहीं किया गया है इसका डुप्लीकेशन न किया जाये।

Table- 2: Disposables (These items should be supplied regularly to the SNCU)

a.	**Disposable Items**
	• Cord clamp • Dee Lee's Mucus trap • Neoflon (intra venous catheter) 22, 24 & 26 G • Microdrip set with and without burette • Blood transfusion set • 3 way stop clock • Suction catheter size # 10, 12 Fr • Endotracheal tubes size # 2, 2.5, 3, 3.5 mm • Feeding tubes size # 5,6,7,8 Fr • Syringes : tuberculin, 1,2,5,10, 50 cc with needle nos. 22, 24, 26 • Sterile gloves and drapes • Chemical disinfectants : Cidex, Bacillocid, Liquid soap and detergent, sterilium, savlon, phenol, Lysol, betadine and rectified spirit • Glucostix and multistix stripes (in containers) • Capillary tubes for microhematocrit (in containers) • Baby Diapers, Cotton, surgical gauze • Pediatric infusion bottles (5% Dextrose, 10% Dextrose, Isolyte-P, Normal saline)
b.	**Life saving drugs for Emergency**

3- FMR Code-B16.1.2.2 पर Procurement of equipments for SNCUs, **"सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (SNCUs)** के लिये 12 शैय्याओं हेतु आवश्यक उपकरणों की सूची पत्र के साथ संलग्न की जा रही है इस हेतु रू0 25.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उपकरणों के क्रय के विषय में **भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पेशिफिकेशन के अनुसार, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा उपलब्ध कराये गये रेट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उपकरण क्रय किये जाने है। क्रय नियमों का कड़ाई से पालन किया जाये। क्रय किये जाने वाले उपकरणों की सूची संलग्न की जा रही है।** उपकरणों की दर अनुबन्ध

के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिये निदेशक, सी0एम0एस0डी0, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय से सम्पर्क करने का कष्ट करें। वेब साइट **upnrhm.gov.in** पर सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध है।

4- **मानव संसाधन की व्यवस्था** हेतु जनपदों में सिविल कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही मानव संसाधन हेतु दिशा निर्देश एवं धनराशि अलग से भेजे जायेगें।

5- **वित्त पोषण**

23 नवीन जनपदों में "सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (SNCUs) की स्थापना किये जाने हेतु FMR Code-A.2.2.1 पर One time recurring Cost of 23 new proposed SNCUs @ 4.00 lakhs/unit for one quarter, FMR Code-B.5.6.1 पर SNCU to be initiated this year (one time cost for repair and renovation) हेतु रू0 4.00 लाख प्रति इकाई FMR Code-B16.1.2.2 पर Procurement of equipments for SNCUs, हेतु रू0 25.00 लाख प्रति इकाई के अनुसार धनराशि जनपद के सम्मुख नीचे दी गयी तालिकानुसार जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा रही है। धनराशि प्राप्त होते ही धनराशि प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय एवं **निदेशक,** उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा को 15 दिन के अन्दर स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करें।

23 New SNCU District wise Fund allocation 2015 - 16

S. N.	Name of District	One time recurring Cost of 23 new proposed SNCUs @ 4.00 lakhs/unit for one quarter	SNCU to be initiated this year (one time cost for repair and renovation)	Procurement of equipments for SNCU	**Total Funds released to DHS**
	FMR Code	**A.2.2.1**	**B.5.6.1**	**B16.1.2.2**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Amroha, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
2	Baghpat, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
3	Balia, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
4	Bhadohi, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
5	Bijnor, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
6	Chandauli, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
7	Chitrakoot, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
8	Ferozabad, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
9	Ghaziabad, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
10	Ghazipur, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
11	Hamirpur, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
12	Hathrus, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
13	Jaunpur, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
14	Kanpur Dehat, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
15	Kushi Nagar, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
16	Mahoba, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
17	Mainpuri, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
18	Mau, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
19	Muzaffarnagar, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
20	Raibarelly, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
21	Sultanpur , DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
22	RIMS Safai MC Etawah	400000	400000	2500000	**3300000**
23	Kanpur Nagar DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
Total funds (In Rs.)		**9200000**	**9200000**	**57500000**	**75900000**
Total funds (In lacs)		**92.00**	**92.00**	**575.00**	**759.00**

नोटः–

- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
- स्वीकृत मद का पुर्नविियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाय साथ–साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये, एक पूल की धनराशि किसी अन्य पूल में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक, लेजर चैक, इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि। लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण करायें साथ ही सत्यापन भी नियमित रूप से सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
- आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाय तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
- व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी को निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें। इसकी एक प्रति जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई से प्राप्त की जा सकती है।
- किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका एवं विभागाध्यक्ष, बालरोग विभाग/नोडल अधिकारी–एस0एन0सी0यू0 आयुर्विज्ञान संस्थान, एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
- प्रत्येक माह एस0एन0सी0यू0 से मद वार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
- जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
- इस कार्यालय के पत्र संख्या– एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

- सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये उपकरणों का रख रखाव, विद्युत आपूर्ति एवं अर्थिगं महत्वपूर्ण है। विद्युत वायरिंग, अर्थिंग एवं इन इकाईयों में आग से सुरक्षा सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका जिला महिला चिकित्सालय/चिकित्सालय प्रशासन एवं **विभागाध्यक्ष,** बालरोग विभाग/नोडल अधिकारी–एस0एन0सी0यू0 आयुर्विज्ञान संस्थान, की होगी। इस हेतु विभागीय इन्जीनियर का सहयोग लेकर सही कार्य कराना सुनिश्चित करें। अतः इसका विशेष ध्यान रखा जाये।

"सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (Sick Newborn Care Unit) हेतु निर्माण कार्य/स्थापना का कार्य धनराशि प्राप्त होने के 60 दिन के अन्दर प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, **विभागाध्यक्ष,** बालरोग विभाग, उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा द्वारा सुनिश्चित किया जाये। जिसकी सूचना प्रमाण पत्र सहित महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, को तत्काल उपलब्ध करायें ताकि क्रियाशील किये जाने के लिये अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इस सम्बन्ध में किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के मो0न0 09412235596 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

<u>संलगन–यथोक्त</u>

भवदीय,

05/10/15

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2015–16/ दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. **महानिदेशक, परिवार कल्याण,** परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी जनपदों को दिशानिर्देश भेजने एवं एस0एन0सी0यू0 की स्थापना का अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
3. **सम्बन्धित, ज़िलाधिकारी**/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य सोसाइटी।
4. **सम्बन्धित, मण्डलीय अपर निदेशक,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
5. **संयुक्त निदेशक,** आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. **निदेशक,** उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा।
7. **विभागाध्यक्ष,** बालरोग विभाग, उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
8. **प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका,** ए0एच0एम0 एण्ड डफरिन चिकित्सालय, जनपद कानपुर नगर को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
9. **मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, ज़िला महिला चिकित्सालय, जनपद**–अमरोहा, बागपत बलिया, भदोही, बिजनौर, चन्दौली, चित्रकूट, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हाथरस, जौनपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, महोबा, मैनपुरी, मऊ, मुजफ्फर नगर, रायबरेली, एवं सुल्तानपुर को इस अनुरोध के साथ कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर सभी आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र कराना सुनिश्चित करें।
10. **सम्बन्धित, मण्डलीय एवं जनपदीय** कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
11. **ऑफीसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ,** बी–3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉमप्लेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद–अमरोहा, बागपत, बलिया, भदोही, बिजनौर, चन्दौली, चित्रकूट, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हाथरस, जौनपुर, कानुपर नगर, कानपुर देहात, कुशीनगर, महोबा, मैनपुरी, मऊ, मुजफ्फर नगर, रायबरेली, इटावा एवं सुल्तानपुर।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2015–16/ दिनांक

विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला महिला चिकित्सालय में "सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (SNCU) को स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है प्रदेश का **IMR** 50 प्रति 1000 जीवित जन्म (SRS 2013) एवं का **NMR** 35 प्रति 1000 जीवित जन्म (SRS 2013) जो क्रमशः राष्ट्रीय औसत 40 प्रति 1000 जीवित जन्म एवं 28 प्रति 1000 जीवित जन्म से अधिक है जिसके दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं को तत्काल उचित उपचार एवं सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के 23 नवीन जनपदों के जिला महिला चिकित्सालयों में **"सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (Sick Newborn Care Unit)** की स्थापना कर क्रियाशील किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 की आर0ओ0पी0 में अनुमोदन प्रदान किया गया है। जनपद स्तर पर एस0एन0सी0यू0 के मानक एवं स्थापना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी "ऑपरेशनल गाइडलाइन" के अंश वेब साइट **upnrhm.gov.in** पर सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलब्ध है का अवलोकन कर एक आर्दश इकाई स्थापित कर क्रियाशील किया जाना है। **(आपरेशनल गाईड लाइन की छायाप्रति संलग्न)**

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 की आर0ओ0पी0 में एस0एन0सी0यू0 को स्थापित कर क्रियाशील किये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निम्नवत हैं:–

1- "सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (SNCU) हेतु छोटी–मोटी मरम्मत।

गंभीर नवजात शिशु उपचार इकाई को स्थापित कर कियाशील बनाये जाने के लिये वित्तीय वर्ष 2015–16 में आवश्यक छोटी–मोटी मरम्मत हेतु FMR Code-B.5.6.1 पर **अधिकतम** रू0 4.00 लाख की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है

Table- 1: Minor Repair and Renovation etc.

Sl No.	Item	Quantity	Amount (in Lacs)
1	**SNCU to be initiated this year (one time cost for repair and renovation)**	1	4.00

2- "सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (SNCU) की स्थापना हेतु उपकरण एवं साम्रग्री

FMR Code-A.2.2.1 पर उपकरणों के क्रय हेतु नीचे दी जा रही तालिका में इकाई की स्थापना हेतु एक बार के लिये एस0एन0सी0यू0 का विद्युतीकरण, अर्थिंग विधुत उपकरण, मेज, कुर्सी आदि अन्य तथा नीचे तालिकानुसार उपकरणों के क्रय हेतु रू0 4.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है। तथा शेष धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी। सामग्री उच्च कोटि एवं अच्छे स्टैण्र्डड (Standard) की होनी चाहिये।

Table- 1: Items, which can be procured at District Level

Sr. No.	Item	Quantity
1	1.5 Ton split AC	2
2	1.0 Ton Split AC	2
3	Voltage Stabilizer 4 KVA	2
4	Voltage Stabilizer 3 KVA	2
5	Revolving chairs	4
6	Revolving stool	6
7	Single beds	2
8	Bed mattresses	2
9	Pillow	4
10	Almirah	4
11	Heat radiator (Oil immersion Heater)	4
12	Refrigerator 180 ltr.	1
13	Washing machine	1
14	Vacume cleaner	1
15	Desktop	1
16	Printer	1
17	UPS	1

नोट :– उक्त उपकरणों के क्रय से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि इन्हें पूर्व में क्रय नहीं किया गया है इसका डुप्लीकेशन न किया जाये।

Table- 2: Disposables (These items should be supplied regularly to the SNCU)

a.	**Disposable Items**
	• Cord clamp • Dee Lee's Mucus trap • Neoflon (intra venous catheter) 22, 24 & 26 G • Microdrip set with and without burette • Blood transfusion set • 3 way stop clock • Suction catheter size # 10, 12 Fr • Endotracheal tubes size # 2, 2.5, 3, 3.5 mm • Feeding tubes size # 5,6,7,8 Fr • Syringes : tuberculin, 1,2,5,10, 50 cc with needle nos. 22, 24, 26 • Sterile gloves and drapes • Chemical disinfectants : Cidex, Bacillocid, Liquid soap and detergent, sterilium, savlon, phenol, Lysol, betadine and rectified spirit • Glucostix and multistix stripes (in containers) • Capillary tubes for microhematocrit (in containers) • Baby Diapers, Cotton, surgical gauze • Pediatric infusion bottles (5% Dextrose, 10% Dextrose, Isolyte-P, Normal saline)
b.	**Life saving drugs for Emergency**

3- FMR Code-B16.1.2.2 पर Procurement of equipments for SNCUs, **"सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (SNCUs)** के लिये 12 शैय्याओं हेतु आवश्यक उपकरणों की सूची पत्र के साथ संलग्न की जा रही है इस हेतु रू0 25.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उपकरणों के क्रय के विषय में **भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पेशिफिकेशन के अनुसार, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा उपलब्ध कराये गये रेट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उपकरण क्रय किये जाने है। क्रय नियमों का कड़ाई से पालन किया जाये। क्रय किये जाने वाले उपकरणों की सूची संलग्न की जा रही है।** उपकरणों की दर अनुबन्ध

के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिये निदेशक, सी0एम0एस0डी0, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय से सम्पर्क करने का कष्ट करें। वेब साइट **upnrhm.gov.in** पर सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध है।

4-**मानव संसाधन की व्यवस्था** हेतु जनपदों में सिविल कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही मानव संसाधन हेतु दिशा निर्देश एवं धनराशि अलग से भेजे जायेगें।

5-**वित्त पोषण**

23 नवीन जनपदों में "सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (SNCUs) की स्थापना किये जाने हेतु FMR Code-A.2.2.1 पर One time recurring Cost of 23 new proposed SNCUs @ 4.00 lakhs/unit for one quarter, FMR Code-B.5.6.1 पर SNCU to be initiated this year (one time cost for repair and renovation) हेतु **रू0** 4.00 लाख प्रति इकाई FMR Code-B16.1.2.2 पर Procurement of equipments for SNCUs, हेतु **रू0** 25.00 लाख प्रति इकाई के अनुसार धनराशि जनपद के सम्मुख नीचे दी गयी तालिकानुसार जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा रही है। धनराशि प्राप्त होते ही धनराशि प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय एवं **निदेशक,** उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा को 15 दिन के अन्दर स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करें।

23 New SNCU District wise Fund allocation 2015 - 16					
S. N.	Name of District	One time recurring Cost of 23 new proposed SNCUs @ 4.00 lakhs/unit for one quarter	SNCU to be initiated this year (one time cost for repair and renovation)	Procurement of equipments for SNCU	**Total Funds released to DHS**
	FMR Code	**A.2.2.1**	**B.5.6.1**	**B16.1.2.2**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Amroha, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
2	Baghpat, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
3	Balia, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
4	Bhadohi, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
5	Bijnor, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
6	Chandauli, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
7	Chitrakoot, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
8	Ferozabad, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
9	Ghaziabad, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
10	Ghazipur, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
11	Hamirpur, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
12	Hathrus, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
13	Jaunpur, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
14	Kanpur Dehat, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
15	Kushi Nagar, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
16	Mahoba, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
17	Mainpuri, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
18	Mau, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
19	Muzaffarnagar, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
20	Raibarelly, DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
21	Sultanpur , DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
22	RIMS Safai MC Etawah	400000	400000	2500000	**3300000**
23	Kanpur Nagar DWH	400000	400000	2500000	**3300000**
Total funds (In Rs.)		**9200000**	**9200000**	**57500000**	**75900000**
Total funds (In lacs)		**92.00**	**92.00**	**575.00**	**759.00**

नोटः–

- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
- स्वीकृत मद का पुर्नियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाय साथ–साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये, एक पूल की धनराशि किसी अन्य पूल में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक, लेजर चैक, इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि। लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण करायें साथ ही सत्यापन भी नियमित रूप से सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
- आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाय तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
- व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी को निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें। इसकी एक प्रति जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई से प्राप्त की जा सकती है।
- किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका एवं विभागाध्यक्ष, बालरोग विभाग/नोडल अधिकारी–एस0एन0सी0यू0 आयुर्विज्ञान संस्थान, एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
- प्रत्येक माह एस0एन0सी0यू0 से मद वार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
- जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
- इस कार्यालय के पत्र संख्या– एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0 एफ0एम0एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

- सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये उपकरणों का रख रखाव, विद्युत आपूर्ति एवं अर्थिंग महत्वपूर्ण है। विद्युत वायरिंग, अर्थिंग एवं इन इकाईयों में आग से सुरक्षा सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका जिला महिला चिकित्सालय/चिकित्सालय प्रशासन एवं **विभागाध्यक्ष,** बालरोग विभाग/नोडल अधिकारी–एस0एन0सी0यू0 आयुर्विज्ञान संस्थान, की होगी। इस हेतु विभागीय इन्जीनियर का सहयोग लेकर सही कार्य कराना सुनिश्चित करें। अतः इसका विशेष ध्यान रखा जाये।

''सिक न्यूबोर्न केयर इकाई'' (Sick Newborn Care Unit) हेतु निर्माण कार्य/स्थापना का कार्य धनराशि प्राप्त होने के 60 दिन के अन्दर प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, **विभागाध्यक्ष,** बालरोग विभाग, उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा द्वारा सुनिश्चित किया जाये। जिसकी सूचना प्रमाण पत्र सहित महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, को तत्काल उपलब्ध करायें ताकि क्रियाशील किये जाने के लिये अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इस सम्बन्ध में किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के मो0न0 09412235596 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलगन–यथोक्त

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2015–16/7300-23(1) दिनांक 13/10/15

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. **महानिदेशक, परिवार कल्याण,** परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी जनपदों को दिशानिर्देश भेजने एवं एस0एन0सी0यू0 की स्थापना का अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
3. **सम्बन्धित, ज़िलाधिकारी**/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य सोसाइटी।
4. **सम्बन्धित, मण्डलीय अपर निदेशक,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
5. **संयुक्त निदेशक,** आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. **निदेशक,** उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा।
7. **विभागाध्यक्ष,** बालरोग विभाग, उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
8. **प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका,** ए0एच0एम0 एण्ड डफरिन चिकित्सालय, जनपद कानपुर नगर को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
9. **मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, ज़िला महिला चिकित्सालय, जनपद**–अमरोहा, बागपत बलिया, भदोही, बिजनौर, चन्दौली, चित्रकूट, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हाथरस, जौनपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, महोबा, मैनपुरी, मऊ, मुजफ्फर नगर, रायबरेली, एवं सुल्तानपुर को इस अनुरोध के साथ कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर सभी आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र कराना सुनिश्चित करें।
10. **सम्बन्धित, मण्डलीय एवं जनपदीय** कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
11. **ऑफीसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ,** बी–3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य